

अधिसूचना

अ०सं०- वि० प्रा० (II) आरोप-15/2019/

273 /पटना, दिनांक - 27.1.2020

श्री विनय कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक (असैनिक), राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई को भागलपुर कोतवाली थाना द्वारा दिनांक-07.11.2019 को अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। श्री सिंह दिनांक-18.12.2019 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। श्री सिंह के विरुद्ध थाना कांड संख्या-799/2019 (जिला भागलपुर) में अपराधिक मामला दर्ज कर अन्वेषण किया जा रहा है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम (2) (क) के आलोक में श्री विनय कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक (असैनिक), राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई को दिनांक-07.11.2019 से दिनांक-18.12.2019 तक की अवधि के लिए निलंबित किया जाता है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम (3) (i) के आलोक में श्री सिंह का दिनांक-19.12.2019 के पूर्वाहन से योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) आरोप-15/2019/

273

/पटना, दिनांक - 27.1.2020

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) आरोप-15/2019/

273

/पटना, दिनांक - 27.1.2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) आरोप-15/2019/

273

/पटना, दिनांक - 27.1.2020

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई/श्री विनय कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक (असैनिक), राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई/आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।